खराब टेलीफोनों की मरम्मत के लिए विशेष सेल

44. **श्री रामजी लाल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने खराब टेलीफोनों को तत्काल ठीक करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ;

(ख) क्या दिल्ली में गठित विशेष प्रकोष्ठ की तरह अन्य राज्यों में शहरों, कस्बों और गांवों में खराब टेलीफोनों को ठीक करने के लिए कोई विशेष प्रकोष्ठ गठित किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या हरियाणा में हिसार, आर्यनगर, नवैत और फतेहाबाद शहरों में भी यह योजना चालू की जायेगी ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार इन शहरों में भी अति महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रकोष्ठों की स्थापना करने जा रही है ; और

(च) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) खराब टेलीफोनों को तत्काल ठीक करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं वे इस प्रकार हैं :—

(i) शिकायतों को विकेन्द्रित नंबर पर दर्ज करना ।

(i) बड़ी प्रणालियों में दोष मरम्मत सेवा का कम्प्यूटरीकरण ।

(iii) टेलीफोन को 24 घंटों के भीतर ठीक करने और जिन दोषों को नाम करने में विलंब हुआ है उन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं ।

(iv) यदि टेलीफोन 7 दिनों से अधिक समय तक खराब रहता है तो उस मामले में छूट दी जाती है और इस सेवा की कड़ी निगरानी की जा रही है ।

(ख) सभी नगरों, शहरों और ग्रामों में स्थित टेलीफोन एक्सचेंजों में दोषों की शिकायतें दर्ज करने के लिए विकेंद्रीकृत पोजीशनें उपलब्ध हैं ।

(ग) और (घ) दोष मरम्मत सेवाएं क्रमशः हिसार, आर्यनगर, नवैत और फतेहाबाद में उपलब्ध हैं ।

(ङ) तथा (च) इन शहरों में अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए कक्ष स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । फिर भी अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नंबरों की प्रतिदिन जांच भी जारी है और इन नंबरों पर निगरानी रखी जाती है ।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन सलाहकार समितियां

45. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में किन-किन क्षेत्रों में टेलीफोन सलाहकार समितियां गठित की गयी हैं और उनके नाम क्या हैं ;

(ख) किन-किन समितियों का गठन अब तक कर दिया गया है और किन-किन समितियों का गठन अभी किया जाना है ;

(ग) क्या टेलीफोन सलाहकार समितियों के गठन के समय स्थानीय प्रतिनिधियों की राय नहीं ली गई ; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ग) का उत्तर "ना" हो, तो इस के क्या? कारण हैं

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के जिन क्षेत्रों में टेलीफोन सलाहकार समितियां गठित की गई हैं उनके नाम निम्नलिखित हैं :—

(1) उत्तर प्रदेश दूरसंचार सर्किल

(2) आगरा दूरसंचार जिला

(3) इलाहाबाद दूरसंचार जिला

(4) गाजियाबाद दूरसंचार जिला

(5) कानपुर दूरसंचार जिला

(6) लखनऊ दूरसंचार जिला

(7) मेरठ दूरसंचार जिला

(8) वाराणसी दूरसंचार जिला

टेलीफोन सलाहकार समिति के पात्र सभी क्षेत्रों को शामिल किया है ।

(ग) और (घ) संचार राज्य मंत्री के कार्यालय में विभिन्न स्थानीय निकायों और जनता से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे । मुख्य महाप्रबंधक, उत्तर प्रदेश सर्किल से प्राप्त सिफारिशों सहित उक्त अभ्यावेदनों पर इन दूरसंचार सलाहकार समितियों का गठन करते समय विचार किया गया था ।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन डायरेक्टरी के प्रकाशन में विलम्ब

46. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में टेलीफोन डायरेक्टरी का प्रकाशन ठेकेदारों की चूक और निविदाओं के निपटान में विलम्ब के कारण समय पर नहीं हो पाया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन ठेकेदारों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) निविदा का निपटान शीघ्रता से न किए जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) ठेकेदार की ओर से हुई चूक के कारण उत्तर प्रदेश की अनेक डिवीजनों में डायरेक्टरी का प्रकाशन समय पर नहीं हुआ । निविदाओं के निपटान में विलंब का कोई मामला नहीं है ।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है । **[नीचे देखि]**

(ग) उपर भाग (क) में उल्लिखित उत्तर के अनुसार ।

विवरण

अनुबंध "क"

क्रम सं०	क्षेत्र	ठेकेदार का नाम	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	लखनऊ	मै० एबीआई ओवरसीज लि० नई दिल्ली	प्रतिभूति जमा का समपहरण कर लिया गया।
2.	वाराणसी	मै० एच० पी० येलो पेजेस, वाराणसी	प्रतिभूति जमा का समपहरण कर लिया गया।
3.	पूर्वी क्षेत्र वाराणसी	मै० विजय प्रिंटर वाराणसी	प्रतिभूति जमा का समयहरण करने संबंधी कार्यवाहियां शुरू की गई।